सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

—00—

क्रमांक एफ 8–5/2013/आरटीआई/1–सूअप्र नया रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर,2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005–के प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन।
संदर्भः– इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ–2–19/2006/1/6, दिनांक 27.7.2006

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के समुचित क्रियान्वयन हेतु विभागीय सचिवों द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए तथा सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा भी उक्त अधिनियम एवं उसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का अध्ययन करने के साथ ही उक्त ज्ञापन में निहित बिन्दुओं पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि उक्त ज्ञापन में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। अतएव उक्त ज्ञापन के अनुक्रम में निम्नानुसार पुनः निर्देश प्रदान किए जाते हैं:–

1. विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों को ही जनसूचना अधिकारी नामांकित किया जाए। जन सूचना अधिकारी के अवकाश या अन्य कारणों से अनुपलब्धता की स्थिति में लिंक अधिकारी की व्यवस्था की जाए।
2. विभाग के अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारियों (एन.जी.ओ.सहित) की एकजाई जानकारी विभागीय सचिव के स्तर से, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाए।
3. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग से केवल "सचिव" स्तर से ही पत्राचार किया जाए, उससे निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा आयोग से पत्राचार न किया जाए। समस्त पत्राचार सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को संबोधित किए जाए।
4. सूचना का अधिकार से संबंधित पूर्ण जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाए।
5. नियत समयावधि के पश्चात् आवेदक को निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने से शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रकार का व्यय संबंधित अधिकारी पर अधिरोपित करने हेतु परिस्थितियों का परीक्षण कर कार्यवाही की जाए। सूचना से वंचित आवेदक को क्षतिपूर्ति की मांग यदि सूचना आयोग द्वारा न्यायोचित पाई जाती है, तो तत्काल उसका भुगतान संबंधित आवेदक को किया जाए तथा इसकी वसूली दोषी अधिकारी से करने के संबंध में परीक्षण कर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही भी की जाए।

निरंतर...2...

6. कार्यालयीन रिकार्ड व्यवस्थित रखे जांए, ताकि अभिलेखों को ढूंढने में अनावश्यक विलंब न हो एवं निर्धारित अवधि में आवेदक को जानकारी दी जा सके।
7. स्व–प्रकटीकरण अभिलेखों को विभागों की वेबसाइट पर अद्यतन रखा जाए। जिन विभागों द्वारा स्व–प्रकटीकरण के आधार पर पूर्ण जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई है उसे शीघ्र प्रदर्शित किया जाए।
8. विनिष्ट किये गये कार्यालयीन अभिलेखों की जानकारी भी विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाए।
9. प्रथम अपीलं में आवेदक को सुनवाई हेतु अनिवार्य रूप से बुलाया जाए एवं आवश्यक होने पर उसे नियमानुसार विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए तथा अपील का निपटारा 30 दिवस की निर्धारित समयावधि में स्पष्ट कारण बताते हुए (स्पीकिंग आर्डर) किया जाय। यद्यपि अपीलीय अधिकारी पर जुर्माने का प्रावधान नहीं है, परन्तु दोषियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
10. सूचना का अधिकार के तहत् सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में कलेक्टरों से जानकारी चाही जाने पर, ऐसी जानकारी कलेक्टरों द्वारा सचिव, राजस्व विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई जाए।
11. अधिनियम के तहत ली जाने वाली फीस/शुल्क के माध्यमों का प्रचार–प्रसार किया जाए।
12. कार्यालयीन बजट में डाक–व्यय, स्टेशनरी–व्यय एवं सूचना आयोग द्वारा पारित आदेशानुसार क्षति–पूर्ति दावों (डिक्रीधन) आदि के भुगतान के साथ–साथ अमले की कमी को पूरा करने हेतु विभाग/कार्यालय के बजट में पर्याप्त प्रावधान कराया जाए।
13. सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में पंचायत स्तर पर पर्याप्त रूप से प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण कराया जावे, ताकि आम जनता को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्राप्त हो सके।
14. प्रभारी सचिवों द्वारा उनके प्रभार के जिले के दौरे के समय एवं विभागीय बैठकों में भी सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाए।
15. आवेदक को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचनाओं की प्रतिलिपि सूचना आयोग को पृष्ठांकित न की जाए।

2/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित् किया जाए।

(के.आर.मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग